2021/622

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... सहायक कलक्टर .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थी:– जंवरीमल पुत्र देवाराम जाति मेघवाल निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थीगण:– श्रवणलाल पुत्र देवाराम जाति मेघवाल निवासी डीडवाना तहसील–डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान वगैरह।

केस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या.193 सन्–.....2021..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
6.12.2021	प्रार्थी जंवरीमल पुत्र देवाराम जाति मेघवाल निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण श्रवणलाल पुत्र देवाराम जाति मेघवाल निवासी डीडवाना तहसील–डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान वगैरह के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद डीडवाना के खसरा सं0 1811, 1812, 1857, 1858 में निर्माण नही करें एवं मौका व राजस्व रेकर्ड कि यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 की धारा 39 की धारा 3(a) की पालना करना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनाँक 16.02.2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	
4/2/22	वकील प्रार्थी के आवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई। इसी उनवान का एक वाद जरिये विड्रोल खारिज हो चुका है। वाद खारिज होने से [illegible] कोई औचित्य नहीं रह [illegible] पत्र खारिज [illegible] फैसल शुमार होकर [illegible] हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:12:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner